UPFR040295492024

278 Final Report/614/2024 Nawabganj

State Government Vs. Satya Jeet Saxena

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद।

वाद संख्या-614/11/2022

राज्य

बनाम

वादी सत्यजीत सक्सेना

दिनांक- 10-12-2024

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। वादी के विद्वान अधिवक्ता को अन्तिम आख्या के विरूद्व प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है, पत्रावली का परिशीलन किया।

वादी द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त प्रकरण का वादी है। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 11-08-2022 को प्राथी के पुत्र रिंकू को उसकी पत्नी सोनी देवी रिंकू के मना करने के बावजूद जबरदस्ती अपने मायके मोहल्ला बण्डा आजाद नगर थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज मोटरसाइकिल से बुला ले गयी। सोनी देवी ने अपने बहनोई राजीव के पुत्र गोद लेने का दबाव बनाया जिस पर विवाद हो जाने पर सोनी देवी के पिता रमेशचन्द्र, भाई सुरेन्द्र सिंह, सचिन, माता संतीचीदेवी और स्वंय सोनीदेवी व उसके वहनोई राजीव पुत्र श्रीकृष्ण आदि में एकराय होकर दिनांक 11/12-08-2022 को रात्रि को किसी समय मेरे पुत्र रिंकू की हत्या कर उसका शव गायब कर दिया। जब प्रार्थी ने अपने पुत्र के बारे में उपरोक्त लोगों से जानकारी करनी चाही, तो सोनीदेवी ने अत्यधिक उपद्रव करना शुरू कर दिया, और कहा कि रिंकू को तो खत्म कर दिया, तुम्हे भी झूंठे मुकदमे लगाकर जेल भिजवा देंगे। प्रार्थी ने दिनांक 29-08-2022 को थाने मे प्रार्थनापत्र दिया कोई कार्यवाही न होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थनापत्र दिया। फिर भी एफआईआर दर्ज किये जाने पर मा० न्यायालय के आदेश से उपरोक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। उक्त प्रकरण के विवेचक ने प्रार्थी व उसके साक्षीगणों के बयान नहीं लिये, न ही प्रार्थी व साक्षीगणों को थाने पर बुलाया, विवेचक महोदय ने सारी लिखापढ़ी थाने में ही करके विवेचना पूरी कर ली। प्रार्थी उक्त प्रकरण के विवेचक को कई बार साक्षीगणों सहित बयान देने हेतु थाने गया, परन्तु विवेचक महोदय ने प्रार्थी/वादी व उसके साक्षीगणो के बयान नहीं लिये। उक्त प्रकरण के विवेधक मुल्जिमानों से मिले होने के कारण मुल्जिमानी की गिरफ्तारी का भी कोई प्रयास नहीं किया मुल्जिमाम खुलेआम अपने घरों मे रह रहे हैं। उक्त प्रकरण में विवेचक महोदय ने असत्य तथ्यों पर अंतिम आख्या माननीय न्यायालय में प्रेषित की है, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अन्तिम आख्या निरस्त कर पुनः विवेचना कराने का आदेश पारित करने की याचना की गयी है।

केस डायरी के परिशीलन से विदित है कि वादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० में पारित आदेश के उपरान्त अपराध संख्या 278/2023 धारा 147/506/302/201 भा०दं०सं० थाना नवाबगंज पर पंजीकृत कराया,जिसमें वाद विवेचना अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि तमामी विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरांत किसी अपराध का न पाये जाने पर साक्ष्य के अभाव में अंतिम आख्या प्रेषित की गयी है।

केस डायरी का सम्यक परिशीलन किया। विवेचक द्वारा वादी व अन्य के बयान लिये गये हैं। वादी द्वारा विवेचक पर वादी व उसके साक्षीगण के बयान न लेकर मुल्जिमान से मिल कर मुकदमा में अन्तिम आख्या न्यायालय प्रेषित करने का आक्षेप लगाते हुए कृत विवेचना से असन्तोष व्यक्त किया गया है।

Digitally signed by GHANSHYAM SHUKLA
Date: 2025.01.01 12:12:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अतः प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि वादी द्वारा कृत विवेचना से असन्तोष व्यक्त किया गया है, प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या निरस्त कर अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अपराध संख्या 278/2023 धारा 147/506/302/201 थाना नवाबगंज के प्रकरण में विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या निरस्त की जाती है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि उल्लिखत तथ्यों के सम्बन्ध में वह प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम विवेचना प्रस्तुत विवेचक से भिन्न विवेचक से कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अग्रिम विवेचना के परिणाम से नियमानुसार न्यायालय को अवगत करांए।

(घनश्याम शुक्ल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्रूखाबाद